न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 17/2017

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1रामकिशोर पुत्र हरीराम जाति खाती 2गीता पत्नी रामकिशोर जाति खाती निवासीगण खत्रीपुरा, नागौर तहसील व जिला नागौर।		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री रामकिशोर मुण्डेल, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30.12.19

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, (भू.अ.) नागौर द्वारा मौजा नागौर के नामान्तरकरण सं. 863 निर्णय दिनांक 02.07.98 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.02.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 23.02.17 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में इकरारनामा दिनांक 25.06.84 की फोटोप्रति, विक्रय पत्र दिनांक 23.11.81 की फोटोप्रति, मौजा नागौर के नामान्तरकरण सं. 473, 509, 510, 572 व 863 की फोटोप्रतियां, मौजा नागौर संवत 2015 का मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी मौजा नागौर संवत 2019–22, 2029–36, 2041–44 तथा संवत 2053–56 की प्रति, न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर की रिट पिटिशन की फोटोप्रति, न्यायलय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के प्रकरण सं. 36/18 गीता देवी बनाम सरकार के फर्द अहकाम दिनांक 20.02.18 से 10.08.18 तक की फोटोप्रति तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश नागौर मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।

{2}(I)–वकील अपीलांट ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि प्रस्तुत प्रकरण मे सक्षम कोर्ट अथवा भू पैमाईश अधिकारी को ही उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर आदेश पारित रेकर्ड मे परिवर्तन किया जा सकता है। मगर रेस्पोडेन्ट ने अपीलांटस को कोई विधिक सूचना दिये बिना ही खसरा नं. 572/937 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा मौजा नागौर का नामान्तरकरण सं. 863 दिनांक 02.07.98 के जरिये अपीलांट की भूमि को कब्जे राज हक मे ली जाकर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलांटस को वर्तमान मे राज्य प्रशासनिक अधिकारियो द्वारा अपीलांटस की भूमि को कस्टोडियन की दर्शाकर कब्जा हटाने की धमकिया दी, तब अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे रिट दायर कर स्टे प्राप्त किया तथा राजस्व रेकर्ड की नकलो की दरख्वास्त दिनांक 10.02.17 को प्रस्तुत करने पर नकले दिनांक 13.02.17 को सर्वप्रथम जानकारी से प्राप्त हुई, जिससे जानकारी से अंदर मियाद अविलंब अपील प्रस्तुत की। दिनांक 10.2.17 को अपीलांटस को खसरा नं. 572/937 के बारे मे जानकारी होने पर नकल की दरख्वास्त देकर दिनांक 13.02.17 को नकले प्राप्त होने पर यह अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की। इस प्रकार अपील पेश करने मे हुआ विलंब सम्यक, संगत, युक्तियुक्त, उचित व आवश्यक कारणो से हुआ विलंब है, जो क्षमा योग्य है तथा अपील अपीलांटस पेश करने मे हुए विलंब को कंडोन करते हुए अपील अपीलांट्स जानकारी से अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। जिस पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपील 19 साल पश्चात प्रस्तुत की गई है। देरी के लिये प्रत्येक दिन का कारण बताना होता है। इसलिये मियाद के बिन्दु पर अपील चलने योग्य नही है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के सामान्य सिद्वान्तो की अवहेलना कर नामान्तरकरण सं. 863 दिनांक 02.07.98 का स्वीकृत किया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

(2)(III)–प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को राजस्व प्रकरण सं. 20/86 सरकार बनाम कालू खां के विधिक उतराधिकारी फेजू खां आदि प्रकरण मे दी जाती तो अपीलांटस विधिवत अपना पक्ष रखकर भी दर्शाते कि हाल खसरा नं. 572 का साबिका खसरा नं. 326 रहा जो गैर मु. अंगोर किस्म नागौर की दर्ज भूमि रही है, उक्त भूमि कस्टोडियन की भूमि कभी नही रही। कस्टोडियन भूमि का मुकदमा सेटलमेंट कमीश्नर (जिला कलक्टर) नागौर की अदालत मे चला, जिसकी सनद दिनांक 15.06.72 को जारी करने के विरूद्व याचिका सं. 3/99, 4/99 की अदालत डिवीजनल कमीश्नर बीकानेर के समक्ष विचाराधीन होकर निर्णय दिनांक 03.10.2000 को पारित किया गया, जिसमे विषयवस्तु एवं विवादित भूमि खसरा नं. 572/937 मौजा नागौर की लिप्त अथवा संलिप्त नही रही थी।

(2)(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्ररकण सं. 20/86 मे सुनवाई के दौरान भी कोई सूचना नही दी गई, ना ही पक्षकार बनाकर साक्ष्य सबूत का अवसर दिया गया। न्यायालय सेटलमेंट कमीश्नर (जिला कलक्टर) नागौर की अदालत मे प्रकरण सं. 20/86 मे जो नामान्तरकरण सं. 863 दिनांक 20.07.98 को दर्ज करने का कारण दर्शाया है, मे अपीलांटस लिखित मे सूचना भी दी जाती, तो वास्तविक स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता अथवा रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तरकरण सं. 863 दिनांक 02.07.98 को स्वीकृत करने से पूर्व भी सूचना दी जाती तो अपीलांटस हाल खसरा नं. 572/937 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा मौजा नागौर के राजस्व रेकर्ड, विक्रय पत्र एवं पूर्व मे स्वीकृत नामान्तररकरण प्रस्तुत कर साक्ष्य सबूत भी पेश करता मगर अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय का गला घोंट कर चुपचाप ही नामान्तरकरण सं. 863 दिनांक 02.07.98 स्वीकृत करने मे भारी भूल की है एवं खसरा नं. 572/937 मौजा नागौर को कस्टोडियन भूमि दर्ज कर अन्याय पूर्ण कार्य किया, जिसको रोकाने एवं दुरूस्त करने के लिये नामान्तरकरण सं. 863 को अपास्त किया जाना चाहिये।

(2)(V)–नागौर शहर मे कस्टोडियन की भूमि (पाक विस्थापित व्यक्तियो के खातेदारी की भूमि) (डिसप्लेस्ड पर्सन) मे खातेदारी अधिकार की पुराने खसरा नं. 558, 559, 560, 560/1 कुल रकबा 149 बीघा 8 बिस्वा, नये खसरा नं. 568, 559, 570, 571, 578, 582, 579, 580, 581, 594, 564, 565, 583, 626 कुल 149 बीघा 8 बिस्वा भूमि रही, जो डिविजनल कमीश्नर बीकानेर के निर्णय दिनांक 3.10.2000 मे अंकित भी है, जिसमे अपीलांटस के कब्जा स्वामित्व खातेदारी हक अधिकार के भू भाग को खसरा नं. 572/937 को सम्मिल्लित नही किया गया है, फिर भी गलत तरीके से नामान्तरकरण दर्ज कर अपीलांट की भूमि भी म्यूटेशन नं. 863 मे सम्मिल्लित कर ली है। खसरा नं. 572 रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा के साबिका खसरा नं. 326 मिन रहे है तथा खसरा नं. 572 मे से 3 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी हक अधिकार कालू खां को घोषित किये, जिसका नामान्तरकरण उतराधिकार मे इब्राहीम खां के नाम दर्ज हुआ था। इब्राहीम खां से अपीलांट सं. 1 एवं बस्तीराम ने दिनांक 23.11.81 को जरिये विक्रय पत्र रजि. के कब्जा व हक अधिकार खातेदारी के प्राप्त किये, जिससे वैध तथा प्रभावी राजस्व रेकर्ड मे अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई के बिना राजस्व रेकर्ड मे रद्दोबदल करने की अधिकारिता नही थी, इसलिये भी नामान्तरकरण सं. 863 अपास्त किये जाने योग्य है।

(3)–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण सं. 863 जैर अपील न्यायालय सेटलमेंट कमीश्नर (कलक्टर नागौर) के राजस्व प्रकरण सं. 20/86 सरकार बनाम स्व. कालू खां के उतराधिकारी मामले मे पारित निर्णय दिनांक 29.6.98 की पालना मे भरा गया है। न्यायिक आदेश की पालना मे भरे गये नामान्तरकरण को इस न्यायालय मे चैलेंज नही किया जा सकता है। यदि अपीलांटस असंतुष्ट हो तो उक्त न्यायिक आदेश के विरूद्व अपीलीय न्यायालय मे कार्यवाही करनी चाहिये। इस प्रकार नामान्तरकरण न्यायिक आदेश की पालना मे भरा गया है। जो विधि सम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

(4)–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा नागौर मे स्थित भूमि के खसरा नं. 594/940, 571, 578, 582, 564/933, 564/934, 594/941, 564/935, 568, 572/937, 994/942, 569, 570, 568/936 की भूमियो को लेकर नामान्तरकरण सं. 863 जो कि न्यायालय सेटलमेंट कमीश्नर (कलक्टर नागौर) के राजस्व प्रकरण सं. 20/86 सरकार बनाम स्व. कालू खां के विधिक उतराधिकारी व अन्य मामले मे पारित निर्णय दिनांक 29.6.98 की अनुपालना मे भरा गया। जो दिनांक 02.07.98 को स्वीकृत हुआ है, से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे रिट दायर कर स्थगन आदेश भी ले रखा है।

अपर कलक्टर, नागौर

उक्त प्रकरण वर्तमान मे माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा नही तथा वर्तमान मे किस स्टेज पर लंबित है, ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत भी प्रस्तुत नही हुए है। इसके अलावा दीवानी विविध प्रकरण सं. 36/18 गीतादेवी बनाम राज. सरकार न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर मे विवादित स्थल की यथास्थिति बनाये रखे जाने को लेकर स्थगन आदेश जारी होना भी वकील अपीलांट द्वारा बताया गया है। उक्त आदेश की वर्तमान मे क्या स्थिति है, ऐसा भी कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नही किये गये है। उक्त नामान्तरकरण की अपील 19 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। जिसकी देरी के लिये कोई पर्याप्त आधार भी नही है। मियाद के बिन्दु पर प्रत्येक दिन का विलंब स्पष्ट करना होता है। जबकि ऐसा साबित नही करवाया गया है। नामान्तरकरण जैर अपील न्यायिक आदेश की अनुपालना मे भरा गया है। जो माफिक न्यायिक आदेश के अनुसार ही होने से इसमे कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति मे अपीलांटस की अपील चलने योग्य प्रतीत नही होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

Page 3 of 3